न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी–आल्हाद निवृत्ति सोमनाथ (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या 98/2017

दायर दिनांक 04.05.2017

निर्णय दिनांक 22.05.2024

उनवान

1. उदा पिता मगना जी जाति माली आयु वयस्क निवासी पांसल तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
2. रामेश्वर पिता मगना जी जाति माली आयु वयस्क निवासी पांसल तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
3. सोहन पिता मगना जी जाति माली आयु वयस्क निवासी पांसल तह0 एवं जिला भीलवाड़ा

प्रार्थीगण

बनाम

1. दिनेश पिता रामनारायण जाति ओझा आयु वयस्क निवासी भीलवाड़ा तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार भीलवाड़ा

विपक्षीगण

उपस्थितः–अधिवक्ता प्रार्थीगण मांगीलाल सेन

–: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लेण्ड रेवेन्यु एक्ट बाबत् रेकार्ड में हुई त्रुटि को दुरस्थ कराये जाने :–

–: निर्णय :–

दिनांक 22/05/2024

प्रार्थीगण के खातेदारी अधिकार एवं स्वामित्व व आधिपत्य की कृषि आराजियात ग्राम पांसल पटवार हल्का पांसल में स्थित है जिसका विवरण निम्न प्रकार हैं:–

आराजी नम्बर	रकबा
601/1	05 पांच बीघा
601/2	06 छः बिस्वा

कुल किता 02 दो कुल रकबा 05 पांच बीघा 06 छः बिस्वा

प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 01 एक मे वर्णित भूमि प्रार्थीगण रामेश्वर, सोहन, उदा, जमना पिता मगना, नोजी बेवा मगना, गटु बेवा मगना माली, के नाम पर दर्ज व आराजी नम्बर 601/2 छः सो एक बटटा दो रकबा छः बिस्वा भूमि श्री दिनेश पिता रामनारायण औझा विपक्षी संख्या 01 एक के नाम पर दर्ज है उक्त भूमि का मूल नम्बर 601 रकबा 05 पांच बीघा था जिसका विभाजन होने पर 601/01 छः सो एक बटटा एक रकबा 04 चार बीघा भूमि प्रार्थीगण के नाम पर दर्ज हुई व आराजी नम्बर 601/02 छः सो एक बटटा दो रकबा 01 एक बीघा भूमि छीतर पिता सोला के नाम पर दर्ज हुई उक्त आराजी नम्बर 601/02 छः सो एक बटटा दो, मे से नगर विकास न्यास द्वारा 200 फीट रींग रोड (सड़क) निर्माण हेतू अवाप्त की गई उसके पश्चात प्रार्थीगण के नाम पर खातेंदारी के रूप में भूमि निम्न प्रकार दर्ज हुई:–

Ahad

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

(क) आराजी नम्बर

601/01 रकबा

01 एक बीघा 17 सतरह बिस्वा

कुल किता 01 एक कुल रकबा 01 एक बीघा 17 सतरह बिस्वा

(ख) आराजी नम्बर

601/02 रकबा

00 बीघा 06 छः बिस्वा

कुल किता 01 कुल रकबा 00 बीघा 06 छः बिस्वा

प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 02 के पैरा (क) में वर्णित कृषि आराजी नम्बर 601/01 छः सो एक बटटा एक रकबा 01 एक बीघा 17 सतरह बिस्वा भूमि प्रार्थीगण रामेश्वर, सोहन, उदा, जमना, पिता मगना नोजी बेवा मगना, गटु बेवा मगना के नाम पर दर्ज है किन्तु राजस्व नक्शे में उक्त भूमि का रकबा 01 एक बीघा 17 सतरह बिस्वा पूर्ण रूप से प्रतिस्थापित नही है इसी प्रकार प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 02 के पैरा (ख) में वर्णित कृषि भूमि आराजी नम्बर 601/2 छः सो एक बटटा दो रकबा 06 छः बिस्वा भूमि दर्ज है किन्तु नक्शे में उक्त भूमि अधिक प्रतिस्थापित की हुई है जो कि नक्शे में आराजी नम्बर 601/01 छः सो बटटा एक रकबा 01 एक बीघा 17 सतरह बिस्वा वाली भूमि मिली हुई है इस प्रकार राजस्व रेकॉर्ड के मुकाबले में नक्शे में तरमीम गलत व त्रुटिपूर्ण की गई है इसलिए मौका की स्थिति व रेकॉर्ड के अनुसार नक्शे का माप किया जाकर राजस्व रेकॉर्ड के मुकाबलें नक्शे में हुई त्रुटि को दुरस्थी के जाकर तरमीम कराया जाने हेतू यह आवेदन प्ररस्तुत है।

प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंन्तर्गत धारा 136–131 लेंण्ड रेवेन्यु एक्ट का स्वीकार फरमाया जाकर नक्शें में राजस्व रेकॉर्ड के अनुसार नक्शा का माप कर तदनुसार प्रस्तावित नक्शा के अनुसार दुरस्ती कर तरमीम कराया जावें, तहसीलदार भीलवाडा से मौका नक्शा की जांच रिपोर्ट मंगाई जाकर वर्तमान एवं साबिक नक्शा का माप व मिलानकर मौके की स्थिति की जांच की जाकर नक्शें में दुरस्ती कराई जावें।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर विपक्षीगण को नोटिस जारी किए। दिनांक 31.01.2018 को प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम पांसल के आराजी नम्बर 601/01 रकबा 05 बीघा, 601/2 रकबा 06 बिस्वा कुल किता 02 रकबा 05 बीघा 06 बिस्वा भूमि को प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत नजरी नक्शे के अनुसार तरमीम किए जाने के आदेश दिए गए। जिसकी पालना नहीं होने से तहसीलदार भीलवाड़ा को पालना हेतु पत्र क्रमांक दिनांक 01.02.2018 से लिखा गया। विपक्षी संख्या 02 से रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार भीलवाड़ा ने अपने पत्र क्रमांक 262 दिनांक 14.10.2021 से रिपोर्ट प्रस्तुत कर अंकित किया है कि ग्राम पांसल के आराजी नम्बर 601/1 रकबा 1 बीघा 17 बिस्वा भूमि मीना पत्नी राकेश अग्रवाल निवासी सी 147 काशीपुरी, रेखा पत्नी शैलेन्द्र जैन निवासी ई 14 बसन्त विहार भीलवाड़ा हिस्सा 2/9 रामेश्वर, सोहन, उदा पिता मगना हिस्सा 1/18 जमना पिता मगना हिस्सा 1/6 नोजी पत्नी बेवा मगना हिस्सा 1/6 गटू बेवा मगना हिस्सा 1/6 माली सा0 देह श्यामसुन्दर पिता नथमल शर्मा निवासी बापु नगर हिस्सा 4/18 खातेदार दर्ज है। आराजी नम्बर 601/2 रकबा 06 बिस्वा, दिनेश पिता रामनारायण औझा निवासी आमलियों की बाड़ी भीलवाड़ा खातेदार दर्ज है। आराजी नम्बर 601/3 रकबा 14 बिस्वा नगर विकास न्यास भीलवाड़ा के

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

नाम दर्ज है। आराजी 601/4 रकबा 02 बीघा 03 बिस्वा नगर विकास न्यास भीलवाड़ा के नाम दर्ज है। नक्शे एवं मौके अनुसार आराजी नम्बर 601/3 तथा 601/4 में सड़क होकर 200 फीट रींग रोड़ है तथा आराजी नम्बर 601/1 का भाग सड़क के दोनो ओर है। रकबा बरारी करने पर सड़क क उत्तरी तरफ वाले भाग का रकबा 19 बिस्वा तथा दक्षीणी तरफ वाले भाग का रकबा 06 बिस्वा अर्थात् कुल रकबा 01 बीघा 05 बिस्वा बनता हैं, जबकि जमाबन्दी अनुसार 601/1 का रकबा 01 बीघा 17 बिस्वा दर्ज है। नक्शे में जमाबन्दी के मुकाबले 12 बिस्वा रकबा कम है। इसी प्रकार आराजी नम्बर 601/2 का रकबा जमाबन्दी अनुसार 06 बिस्वा है। परन्तु रकबा बरारी अनुसार 18 बिस्वा बनता है अर्थात् नक्शे में 12 बिस्वा रकबा अधिक है। विपक्षी दिनेश पिता रामनारायण औझा आराजी नम्बर 601/2 में 06 बिस्वा भूमि पर काबिज है। आराजी नम्बर 601/2 में नक्शे में अधिक आ रही 12 बिस्वा भूमि को प्रार्थीगण के आराजी नम्बर 601/1 में (दक्षिणी भाग में) शामिल कर दी जाती है तो उन्हे कोई आपत्ती नहीं है।

प्रार्थीगण के प्रार्थनापत्र एवं तहसीलदार भीलवाड़ा से प्राप्त रिपोर्ट का अध्ययन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज राजस्व नक्शा ट्रेस रिपोर्ट पटवारी हल्का पांसल का अध्ययन किया गया। ग्राम पांसल के आराजी नम्बर 601/1 जमाबन्दी में 01 बीघा 17 बिस्वा भूमि दर्ज रेकार्ड है, जबकि रकबा बरारी अनुसार राजस्व नक्शे में 01 बीघा 05 बिस्वा है। अर्थात् इस आराजी में राजस्व नक्शे में 12 बिस्वा भूमि कम है। इसी प्रकार ग्राम पांसल के आराजी नम्बर 601/2 जमाबन्दी में 06 बिस्वा भूमि दर्ज रेकार्ड है, जबकि रकबा बरारी अनुसार राजस्व नक्शे में 18 बिस्वा है। अर्थात् इस आराजी में राजस्व नक्शे में 12 बिस्वा भूमि अधिक है। आराजी नम्बर 601/3 रकबा 14 बिस्वा भूमि एवं आराजी नम्बर 601/4 रकबा 02 बीघा 03 बिस्वा भूमि 200 फीट रींग रोड़ में उपयोग में आ रही है। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र आराजी नम्बर 601/1 एवं 601/2 के संबंध में राजस्व नक्शे में तरमीम दुरुस्ती का स्वीकार योग्य ठहरता है। अतएवं

<u>आदेश</u>

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136–131 लेण्ड रेवेन्यू एक्ट का स्वीकार किया जाता है। ग्राम पांसल के आराजी नम्बर 601/1 रकबा 01 बीघा 17 बिस्वा भूमि का राजस्व नक्शे में 01 बीघा 05 बिस्वा की बजाय राजस्व नक्शे में 01 बीघा 17 बिस्वा भूमि की प्रस्तावित नक्शे अनुसार तरमीम करने के आदेश दिए जाते है। इसी प्रकार आराजी नम्बर 601/2 रकबा 06 बिस्वा भूमि की राजस्व नक्शे में 18 बिस्वा की बजाय राजस्व नक्शे में 06 बिस्वा भूमि की प्रस्तावित नक्शे अनुसार तरमीम करने के आदेश दिए जाते है। राजस्व नक्शे में तरमीम दुरुस्ती करने से मौके पर कब्जे में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जाएगा। तहसीलदार भीलवाड़ा उपरोक्तानुसार राजस्व नक्शे में प्रस्तावित नक्शे संलग्न अनुसार तरमीम दुरुस्ती की जाकर पालना रिपोर्ट 15 दिवस में प्रस्तुत करें।

(आव्हाद निवृत्ति सोमनाथ)
उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा